न्यायालय उप जिलाधिकारी अकबरपुर,अम्बेडकरनगर।

रथी पब्लिक एजूकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट प्रतापपुरचमुर्खा कटेहरी अम्बेडकरनगर द्वारा अध्यक्ष शशी सिंह(शशिकला)

कार बनाम

वाद संख्या–टी 20180404010 0649
अन्तर्गत धारा–80 उ0प्र0रा0सं0
मौजा– प्रतापपुरचमुर्खा,
परगना व तहसील अकबरपुर
जनपद–अम्बेडकरनगर।

निर्णय

भागीरथी पब्लिक एजूकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट प्रतापपुरचमुर्खा कटेहरी अम्बेडकरनगर द्वारा अध्यक्ष शशी सिंह (शशिकला) पत्नी हंस प्रकाश सिंह, निवासी ग्राम– प्रतापपुरचमुर्खा, परगना–मिझौडा, तहसील– अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिया गया है कि वादी ग्राम प्रतापपुरचमुर्खा, परगना–मिझौडा, तहसील– अकबरपुर के गाटा संख्या– 2395कमि/0.177हे0 व गाटा संख्या 2395ख/0.460हे0 में से 0.3253हे0 व गाटा संख्या 2395घ/0.063हे0 में से 0.021हे0 कुल रकबा 5233 वर्गमीटर के संक्रमणीय भूमिधर है। जिसमें से 900 वर्गमीटर पर भवन, 1104.089 वर्गमीटर आउटीबाल्स से आच्छादित एवं रकबा 3229.11 वर्गमीटर खेल के मैदान के रूप में स्थित है। सबंधित आराजी का प्रयोग अकृषिक किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड का राजस्व निरीक्षक के साथ फोटो पत्रावली में सलग्न है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी को गैर कृषिक प्रयोजन अंकित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार अकबरपुर से जांच करायी गयी। तहसीलदार अकबरपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या को अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु स्वीकृतार्थ अग्रसारित किया गया है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम प्रतापपुरचमुर्खा, परगना–मिझौडा, तहसील– अकबरपुर के गाटा संख्या–2395कमि/0.177हे0तनहा व गाटा संख्या 2395ख/0.460हे0 व गाटा संख्या 2395घ/0.063हे0 वादीगण अन्य के नाम सह संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अन्य सहखातेदार द्वारा अनापत्ति के सम्बन्ध में शपथ पत्र दिया गया है। तहसीलदार अकबरपुर की आख्या से स्पष्ट है कि वादी द्वारा गाटा संख्या–2395कमि/0.177हे0व गाटा संख्या 2395ख/0.460हे0 में से 0.3253हे0 व गाटा संख्या 2395घ/0.063हे0 में से 0.021हे0 बतौर अकृषिक प्रयोग किया जा रहा है। वादी द्वारा विभाजन शुल्क रूपया 1000=00 व वाणिज्यिक शुल्क रूपया 20,932=00 ट्रेजरी चालान द्वारा जमा किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थित आराजी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में ग्राम प्रतापपुरचमुर्खा, परगना–मिझौडा, तहसील– अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर के खतौनी वर्ष 1422–1427 फसली के खाता संख्या 1609 के गाटा संख्या–2395कमि/0.177हे0तथा खाता संख्या 427 के गाटा संख्या 2395ख/0.460हे0 में से 0.3253हे0 तथा खाता संख्या 1056 के गाटा संख्या 2395घ/0.063हे0 में से 0.021हे0 भागीरथी पब्लिक एजूकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट प्रतापपुरचमुर्खा कटेहरी अम्बेडकरनगर द्वारा अध्यक्ष शशी सिंह (शशिकला) पत्नी हंस प्रकाश सिंह, निवासी ग्राम– प्रतापपुरचमुर्खा, परगना–मिझौडा, तहसील– अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के नाम अकृषिक यानी कृषि कार्य से इतर घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

उप जिलाधिकारी,
अकबरपुर।

Manoj
300

शशी सिंह
प्रवन्धक
भागीरथी पब्लिक एजूकेशनल
व चैरिटेबल ट्रस्ट,प्रतापपुर चमुर्खा
कटेहरी–अम्बेडकरनगर

राजस्व अभिलेखागार–अम्बेडकरनगर
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखपाल–अम्बेडकरनगर

(90)

न्यायालय उप जिलाधिकारी अकबरपुर,अम्बेडकरनगर।

ागीरथी कमला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान प्रतापपुर चमुर्खा द्वारा प्रबन्धक शशी सिंह

-----------------------बनाम-----------------------सरकार।

वाद संख्या–टी 20150404011567
अन्तर्गत धारा–143ज0वि0अधि0
मौजा– प्रतापपुरचमुर्खा।
परगना– मिझौड़ा
तहसील– अकबरपुर
जनपद–अम्बेडकरनगर।

निर्णय

भागीरथी कमला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान प्रतापपुर चमुर्खा, कटेहरी द्वारा प्रबन्धक शशीसिंह पत्नी हंसप्रकाश सिंह निवासी–प्रतापपुरचमुर्खा, परगना–मिझौड़ा, तहसील–अकबरपुर, जनपद– अम्बेडकरनगर, द्वारा जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिया गया है कि प्रार्थिनी ग्राम–प्रतापपुरचमुर्खा, परगना– मिझौड़ा, तहसील– अकबरपुर, के गाटा संख्या–2395क/0.365 हे0 में से 0.314 हे0 का संक्रमणीय भूमिधर है। सम्बन्धित आराजी का प्रयोग अकृषिक किया जा रहा है। प्रश्नगत भूखण्ड विद्यालय भवन के सामने खेल मैदान के रूप में परती पड़ी है। उक्त भूखण्ड का लेखपाल के साथ फोटो पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित आराजी को गैर कृषिक प्रयोजन अंकित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार अकबरपुर से जांच करायी गयी। निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या को अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार अकबरपुर द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम– प्रतापपुरचमुर्खा, परगना–मिझौड़ा, तहसील– अकबरपुर, के गाटा संख्या– 2395क/0.365 हे0 वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आख्या से स्पष्ट है कि वादी द्वारा गाटा संख्या–2395क/0.365 हे0 में से 0.314 हे0 का प्रयोग अकृषिक रूप में किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थित आराजी को ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम–प्रतापपुरचमुर्खा, परगना–मिझौड़ा, तहसील– अकबरपुर, जनपद– अम्बेडकरनगर, के खतौनी वर्ष–1422–1427 फसली के खाता संख्या– 794 के गाटा संख्या–2395क/0.365 हे0 में से 0.314 हे0 भागीरथी कमला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान प्रतापपुर चमुर्खा, कटेहरी द्वारा प्रबन्धक शशीसिंह पत्नी हंसप्रकाश सिंह निवासी–प्रतापपुरचमुर्खा, परगना–मिझौड़ा, तहसील–अकबरपुर, जनपद– अम्बेडकरनगर, के नाम गैर कृषिक प्रयोजन यानी कृषि कार्य से इतर घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

उप जिलाधिकारी,
अकबरपुर।
05-4-15

राजस्व अभिलेखागार–अम्बेडकरनगर
सत्य प्रतिलिपि
04.07.2022
राजस्व अभिलेखागार–अम्बेडकरनगर
दिनांक.........

शशी सिंह
प्रबन्धक
भागीरथी पब्लिक एजुकेशनल एण्ड सोशल ट्रस्ट, प्रतापपुर चमुर्खा